

॥ निदेशालय पुलिस दूरसंचार (पुलिस मुख्यालय) राजस्थान जयपुर ॥

क्रमांक:—न.5() वि.स./कानि. भर्ती—2025/ 235

दिनांक:— 10.01.2026

:::आदेश:::

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती, एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रसारित कॉन्स्टेबल भर्ती, 2025 हेतु प्रसारित विज्ञप्ति क्रमांक न-5(03), पु. फोर्स/कानि. भर्ती-25/2024/1361 दिनांक 09.04.2025 एवं संशोधित विज्ञप्ति संख्या 1376 दिनांक 15.04.2025 एवं 1536 दिनांक 26.04.2025 के द्वारा पुलिस दूरसंचार में कॉन्स्टेबल दूरसंचार ऑपरेटर के 1378 एवं चालक के 91 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा योग्य अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर दिनांक 13.09.2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। उक्त लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम उप महानिरीक्षक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किया जाकर 7345 अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की शारीरिक मापतौल/दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतौल/दक्षता परीक्षा करवाने एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार चयन सूची बनाये जाने हेतु अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक न-5(17)पु.फो./कानि.भर्ती-25/2025/5706 दिनांक 25.11.2025 द्वारा चयन बोर्ड का गठन किया गया।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक न-5(14)पु.फो./कानि.भर्ती-25/5492 दिनांक 15.11.2025 द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी स्टेडियम, जयपुर में शारीरिक मापतौल/दक्षता परीक्षा दिनांक 01.12.2025 से 08.12.2025 तक आयोजित की गई। पुलिस मुख्यालय के खेल कोटे की विज्ञप्ति संख्या 4457 दिनांक 04.09.2025 द्वारा 02 पद पुलिस दूरसंचार में खेल कोटे से आवंटित किया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक न-5(18)पु.फो./कानि.भर्ती-25/2025/6184 दिनांक 21.12.2025 के द्वारा चयन सूची का अनुमोदन किये जाने के उपरांत चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों का निदेशालय के प्रेस नोट क्रमांक 1868 दिनांक 21.12.2025 द्वारा अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, शैक्षणिक योग्यता, चरित्र सत्यापन, जन्मतिथि, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक, विधवा एवं तलाक शुदा प्रमाण पत्र, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र इत्यादि के मूल प्रमाण पत्रों की ऑनलाईन/ऑफलाईन सत्यापन रिपोर्ट किये जाने हेतु दिनांक 26.12.2025 से दिनांक 04.01.2026 तक प्रक्रिया अपनाई गई।

निदेशालय के आदेश क्रमांक 192 दिनांक 05.01.2026 के द्वारा कुल 670 अभ्यर्थियों (636 कॉन्स्टेबल ऑपरेटर तथा 34 कॉन्स्टेबल चालक), आदेश क्रमांक 208 दिनांक 07.01.2026 के द्वारा कुल 454 अभ्यर्थियों (436 कॉन्स्टेबल ऑपरेटर तथा 18 कॉन्स्टेबल चालक), आदेश क्रमांक 209 दिनांक 07.01.2026 के द्वारा कुल 57 अभ्यर्थियों (47 कॉन्स्टेबल ऑपरेटर तथा 10 कॉन्स्टेबल चालक) तथा आदेश क्रमांक 224 दिनांक 08.01.2026 के द्वारा कुल 41 अभ्यर्थियों (36 कॉन्स्टेबल ऑपरेटर तथा 05 कॉन्स्टेबल चालक) तथा आदेश क्रमांक 230 दिनांक 09.01.2026 के द्वारा कुल 20 अभ्यर्थियों (16 कॉन्स्टेबल ऑपरेटर तथा 04 कॉन्स्टेबल चालक) अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं।

अतः निम्नांकित चयनित 12 अभ्यर्थियों (11 कॉन्स्टेबल ऑपरेटर तथा 01 कॉन्स्टेबल चालक) के स्वास्थ्य परीक्षण में योग्य पाये जाने, चरित्र सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक, विधवा एवं तलाक शुदा प्रमाण पत्र, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र

इत्यादि के मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं होने पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-15(1)एफडी नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम-16 शेड्यूल-iv में नियत प्रावधानानुसार इन्हे दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कानिस्टेबल पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षु पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। नियुक्ति के उपरांत 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14600/- रुपये मासिक नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) देय होगा, तत्पश्चात सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कानिस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला L-5 (Pay matrix -Level 5) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे। इन्हे नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) की राशि राज्य सेवा में उपस्थिति/कार्यग्रहण की तिथि से देय होगी। परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, महंगाई भत्ता यात्रा भत्ता शहरी क्षतिपूर्ण भत्ता व विशेष वेतन इत्यादि) देय नहीं होंगे तथा इस अवधि को सेवा अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जायेगा। इस अवधि में सामान्य प्रावधायी निधि एवं राज्य बीमा आदि की कटौती राज्य सरकार के नियमानुसार होगी।

यह नियुक्ति राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन रहेगी।

कॉन्स्टेबल ऑपरेटर की सूची

क्र.सं	चयन सूची क्रमांक	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम सर्वश्री	वर्ग	लिंग	जन्म तिथि	चयन वर्ग	पता
1	77	110065060	BHANWAR	DALIP KUMAR	OBC NON CREAMY	MALE	19-Sep-2000	OBC M-44	WARD NO. 07, CHAK 8DOL-A, Rawla, SHRI GANGANAGAR, 335707
2	511	110026873	VISHAL SHARMA	RAJESH KUMAR SHARAMA	GENERAL EWS	MALE	19-Nov-1998	EWS M-52	PLOT NO 202 WARD NO 33 RADHA BAGH COLONY, SABJI MANDI ROAD CHOMU JAIPUR RAJASTHAN, CHOMU, JAIPUR, 303702
3	671	110052876	SUNIL	BABU LAL	OBC NON CREAMY	MALE	1-Jul-2004	GM-308	VPO CHHAJOLI, ,JayaI, NAGAU, 341023
4	705	110006874	HARSHWARDHAN SINGH SHAKTAWAT	PURAN SINGH SHAKTAWAT	GENERAL EWS	MALE	10-Oct-2003	EWS M-86	A 134 ,AZAD NAGAR ,BHILWARA, 311001
5	1042	110014872	PRADEEP RAI	MITHLESH RAI	SC	MALE	20-May-2002	SC M-121	V/P KHILCHIPUR ,TEHSIL SAWAI MADHOPUR, Sawaimadhopur, SAWAIMADHOPUR, 322001
6	1043	110091366	GANESH LAKHAN	RAM GOPAL	SC	MALE	3-Dec-2002	SC M-122	VILL POST GEDHA KALLAN, TEHS MAKRANA, Makrana, NAGAU, 341520
7	1099	110102355	TOSHIKA KUMAWAT	MADANLAL KUMAWAT	OBC NON CREAMY	FEMALE	23-Nov-2003	OBC F-48	GOPAL JI KI TALAI, DHANI KUMAWATAN, SANGANER, JAIPUR, 302029
8	1134	110088664	SARITA SAINI	SANJAY KUMAR SAINI	OBC NON CREAMY	FEMALE	18-Apr-2001	OBC F-70	ANWA KA DARWAJA ,VILLAGE+POST+TEHSIL-DOONI, Dooni, TONK, 304802
9	1176	110099402	PURVA	MADANLAL	SC	FEMALE	1-Jan-1999	SC F-11	VILLAGE-MALAWDA, POST-GOMANA, Chhoti Sadri, Pratapgarh, 312604
10	1278	110002984	POOJA MEENA	RAM KHILARI MEENA	ST	FEMALE	30-Oct-1999	ST F-48	VILLAGE PADA MACHARI TEHSIL RENI, VILLAGE PADA MACHARI TEHSIL RENI, Reni, ALWAR, 301408
11	1290	110054608	ASHOK KUMAR	KRISHAN CHAND JAT	OBC NON CREAMY	MALE	13-Mar-1991	OBC EX-MEN-07	TEHARKA, GOPIPURA, ,KHAIRTHAL-TIJARA, 301407

कॉन्स्टेबल चालक की सूची

क्र.सं	चयन सूची क्रमांक	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम सर्वश्री	वर्ग	लिंग	जन्म तिथि	चयन वर्ग	पता
1	87	110030807	LAXMI KANWAR	HANUMAN SINGH	GENERAL EWS	FEMALE	15/08/2000	GEN F-08	VPO-PABUSAR ,TH-RATANGARH ,Ratangarh, CHURU, 331022


उपरोक्त अभ्यर्थियों की कानिस्टेबल दूरसंचार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:-

1. कानिस्टेबल ऑपरेटर/चालक पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वी कक्षा (भौतिक विज्ञान के साथ गणित अथवा कम्प्यूटर या समकक्ष) उत्तीर्ण है। जिन अभ्यर्थियों ने 12 वी कक्षा से उच्च शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं, और जिनका सत्यापन नहीं हो पाया है, उनका सत्यापन होने के पश्चात संबंधित की सेवापुस्तिका में इन्द्राज किया जायेगा।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1)एफडी/नियत/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के शेड्यूल-I अ (नियम-16) के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल के दौरान प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में नियमानुसार 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश, अवकाश लेख में जमा नहीं किया जायेगा।
3. महिला कर्मचारियों का राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 103 एवं 104 के तहत प्रसूति अवकाश देय होगा तथा पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम 103 ए के तहत पितृत्व अवकाश देय होगा।
4. दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थाईकरण होने के पश्चात् स्थाईकरण तिथि से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1)एफडी/नियम/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पे-मेट्रिक्स लेवल-5 (सेल-1) में नियमित वेतन निर्धारण किया जाकर नियमानुसार वेतन भत्ते देय होंगे तथा नियमानुसार कटौतियां की जायेगी।
5. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-एफ 5(5)एफडी/इन्श्योरेन्स/2020 दिनांक 09.04.2021 आदेश क्रमांक एफ-5(5)एफडी/इन्श्योरेन्स/2020 पार्ट-11 दिनांक 07.07.2021 दिनांक 07.09.2021 एवं 19.04.2022 में वर्णितानुसार आर.जी.एच.एस. योजना लागू होगी व नियमानुसार कटौतियों की जावेगी।
6. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-12(3)एफडी/नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई जो नियमानुसार प्रभावी होगी।
7. राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ-13(3)एफडी रूल्स/2001 दिनांक 04.10.2001 आदेश संख्या प-7(1)कार्मिक(क-2)/95/पार्ट जयपुर दिनांक 13.08.2004 के प्रावधानानुसार नियुक्ति के उपरान्त यदि किसी अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात 02 से अधिक संतान होने के तथ्य सामने आते हैं, तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सेवा से पृथक किया जायेगा।
8. विवाह में देहेज प्राप्त करने, 01 से अधिक पति/पत्नि रखने, अपराधिक प्रकरण एवं दस्तावेजों में विपरीत तथ्य तथा अन्य किसी प्रकार के नियम विरुद्ध तथ्य प्राप्त होने पर बिना नोटिस तत्काल प्रभाव से इनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से पृथक किया जायेगा।
9. अभ्यर्थी को विवाहित होने की स्थिति में पंजीयन प्रमाण पत्र देहेज नहीं लिया/दिया का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों में कानि0 भर्ती-2025 हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 1376 दिनांक 15.04.2025 एवं संशोधित विज्ञप्ति संख्या 1536 दिनांक 26.04.2025 के बिन्दु संख्या में अंकितानुसार किसी भी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
11. अभ्यर्थियों को 50/-रूपये के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक बन्द पत्र कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/प्रगना अधिकारी/तहसीलदार में से किसी एक से बनवाकर प्रस्तुत करना होगा। बन्द पत्र के अनुसार पुलिस दूरसंचार में प्रशिक्षण अवधि समाप्ति दिनांक से दो वर्ष की सेवा करना अनिवार्य होगा। इस अवधि से पूर्व इस कार्यालय की बिना अनुमति अन्य नियोजन स्वीकार करने/त्यागपत्र देने/फरार होने/गैर हाजिर होने पर वास्तविक प्रशिक्षण खर्च की राशि एवं प्राप्त किये गये वेतन भत्तों की राशि को राजकोष में जमा करवाना होगा। ड्यूटी से फरार होने पर बिना किसी नोटिस के राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।



12. समस्त नव नियुक्ति अभ्यर्थी 1. दैनिक उपभोग की आवश्यक सामग्री, पहनने के कपड़े इत्यादि, 2. मैस एडवान्स राशि 4000/- 3. कार्मिक कल्याण सदस्य शुल्क राशि-2600/- (2500 रुपये जमा राशि व 100 रुपये सदस्यता शुल्क) 4. 10 पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो 5. बन्धपत्र, शपथ पत्र साथ लेकर दिनांक 10.01.2026 से दिनांक 11.01.2026 तक कार्यालय संचित निरीक्षक पुलिस दूरसंचार लाईन घाटगेट जयपुर में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे।
13. ड्यूटी ज्वॉइनिंग के प्रयोजनार्थ इन्हें किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ई.ओ.बी क्रमांक:- 08
दिनांक:- 10.01.2026


(डॉ. हेमराज मीना)
पुलिस अधीक्षक (प्रथम)
पुलिस दूरसंचार राजस्थान
जयपुर।


प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, साइबर क्राईम एवं तकनीकी सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक पुलिस दूरसंचार राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (प्रशासन एवं मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस दूरसंचार राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त रेंज प्रभारी पुलिस दूरसंचार राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला प्रभारी पुलिस दूरसंचार राजस्थान, जयपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
8. प्रभारी प्रशिक्षण शाखा निदेशालय पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।

9. तकनीकी सहायक/अतिरिक्त निजी सचिव पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
10. संचित निरीक्षक पुलिस दूरसंचार लाईन जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों के पुलिस दूरसंचार लाईन जयपुर में उपस्थिति होते ही उनकी उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय में बन्दपत्र, शपथ पत्र के साथ उनकी उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय में अविलम्ब भिजवाये तथा अभ्यर्थियों की आमद, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
11. एस.आर क्लर्क/निजी पत्रावली वास्ते हेतु।
- 11 संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्तानुसार निर्देशों के अनुसार अपनी उपस्थिति दिनांक 10.01.2026 से दिनांक 11.01.2026 तक पुलिस दूरसंचार लाईन घाटगेट जयपुर में देना सुनिश्चित करेंगे।


(डॉ. हेमराज मीना)
पुलिस अधीक्षक (प्रथम)
पुलिस दूरसंचार राजस्थान
जयपुर